अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

प्रश्न 1 : राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है?

उत्तर : ऐसे बच्चे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं तथा भारत में रहते हैं।

प्रश्न 2 : क्या कोई नागरिक इस पुरस्कार के लिए बच्चे को नामित कर सकता है?

उत्तर : भारत का कोई नागरिक ऐसे किसी बच्चे को नामित कर सकता है जिसमें किसी श्रेणी अर्थात नवाचार, समाज सेवा, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला एवं संस्कृति तथा बहादुरी में उत्कृष्टता हासिल की है।

प्रश्न 3 : क्या आवेदक राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की सभी छ: श्रेणियों में से एक से अधिक श्रेणी के लिए आवेदन कर सकता है?

उत्तर : नहीं ।

प्रश्न 4 : आयु संबंधी पात्रता क्या है ?

उत्तर : बच्चे की आयु 5 वर्ष से अधिक परंतु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 5 : क्या कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अपेक्षित है?

उत्तर : आवेदन करने/सिफारिश करने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न 6 : यदि किसी बच्चे ने अतीत में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (तत्कालीन असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त किया है तो क्या वह बच्चा पुन: इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है?

उत्तर : नहीं ।

प्रश्न 7 : राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए पुरस्कार की राशि कितनी है?

उत्तर : प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पदक, एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार, 10 हजार रुपये मूल्य के बुक वाउचर, प्रमाण पत्र तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।

प्रश्न 8 : आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर : आवेदन पूरे वर्ष स्वीकार किए जाएंगे । तथापि, 31 अगस्त तक प्राप्त किए गए आवेदनों पर विचार अगले साल जनवरी में प्रदान किए पुरस्कार के लिए किया जाएगा तथा 31 अगस्त के बाद प्राप्त आवेदकों पर विचार अगले वर्ष के लिए किया जाएगा।

प्रश्न 9 : क्या आवेदन राज्य सरकार द्वारा पृष्ठांकित होना चाहिए अथवा इसे मंत्रालय को सीधे भेजा जा सकता है?

उत्तर : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध वेब पोर्टल पर बच्चा सीधे आवेदन कर सकता है। भारत का कोई नागरिक / केंद्र सरकार / राज्य सरकार का प्राधिकारी भी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन की सिफारिश कर सकता है।

प्रश्न 10 : पुरस्कार समारोह कब होगा?

उत्तर : ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस सप्ताह से पहले वाले सप्ताह में दिए जाएंगे।

प्रश्न 11 : पुरस्कार कौन प्राप्त कर सकता है ?

उत्तर : मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर, जब माता-पिता/अभिभावक पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, पुरस्कार विजेता पुरस्कार स्वीकार करेगा।

प्रश्न 12 : क्या पुरस्कार विजेताओं तथा उनके अभिरक्षकों के लिए बोर्डिंग एवं लाजिंग की कोई सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार पुरस्कार विजेताओं तथा उनके अभिरक्षकों के लिए बोर्डिंग एवं लाजिंग की व्यवस्था की जाएगी।

प्रश्न 13 : क्या पुरस्कार विजेताओं तथा उनके अभिरक्षकों को यात्रा भत्ता की कोई प्रतिपूर्ति की जाएगी?

उत्तर : आने और जाने के लिए एसी-।। टीयर से यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

प्रश्न 14 : क्या पुरस्कार विजेता के साथ किसी अभिरक्ष की अनुमति है?

उत्तर : दिशानिर्देशों के अनुसार, पुरस्कार विजेता के साथ दो अभिरक्षक अनुमत हैं।

राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार :

प्रश्न 1: राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार की श्रेणियां क्या हैं ?

उत्तर: राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार की दो श्रेणियां हैं-

i) राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार (व्यक्तिगत)

ii) राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार (संस्था).

प्रश्न 2: राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: क. व्यक्तिगत: ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने कम से कम सात वर्ष के लिए बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्रों में बच्चों की सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया है तथा बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

ख. संस्था: ये पुरस्कार ऐसी संस्थाओं को दिए जाते हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल से बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्रों में से किसी में बच्चों के हित में असाधारण कार्य किया है तथा बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

प्रश्न 3: क्या आवेदक व्यक्तिगत राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के लिए एक से अधिक क्षेत्रों में आवेदन कर सकता है?

उत्तर: हां, आवेदक सभी तीन क्षेत्रों (यानी बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण) के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रश्न 4: आयु पात्रता क्या है?

उत्तर: 18 साल से ऊपर के आवेदक व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 5: राष्ट्रीय बाल कल्याण के लिए पुरस्कार की राशि कितनी है?

उत्तर: राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार (व्यक्तिगत) में 1, 00,000 / - (एक लाख) रुपये का नकद पुरस्कार,प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र तथा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार (संस्थान) में 5.00,000 / - रुपये का पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र तथा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

प्रश्न 6: क्या कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अपेक्षित है?

उत्तर: आवेदन करने/सिफारिश करने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न 7: यदि किसी व्यक्तिगत/ संस्था ने अतीत में राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार प्राप्त किया है तो क्या वह व्यक्तिगत/ संस्था पुन: इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है?

उत्तर : नहीं , यदि किसी व्यक्तिगत/ संस्था ने अतीत में राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार प्राप्त किया है तो वह व्यक्तिगत/ संस्था पुन: इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है।

प्रश्न 8: आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: आवेदन पूरे वर्ष स्वीकार किए जाएंगे । तथापि, 31 अगस्त तक प्राप्त किए गए आवेदनों पर विचार अगले साल जनवरी में प्रदान किए पुरस्कार के लिए किया जाएगा तथा 31 अगस्त के बाद प्राप्त आवेदकों पर विचार अगले वर्ष के लिए किया जाएगा।

प्रश्न 9: क्या आवेदन राज्य सरकार द्वारा पृष्ठांकित होना चाहिए अथवा इसे मंत्रालय को सीधे भेजा जा सकता है?

उत्तर: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध वेब पोर्टल पर व्यक्तिगत/ संस्था सीधे आवेदन कर सकता है। भारत का कोई नागरिक / केंद्र सरकार / राज्य सरकार का प्राधिकारी भी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन की सिफारिश कर सकता है।

प्रश्न 10 : पुरस्कार समारोह कब होगा?

उत्तर : ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस सप्ताह से पहले वाले सप्ताह में दिए जाएंगे।

प्रश्न 11: पुरस्कार कौन प्राप्त कर सकता है ?

उत्तर: पुरस्कार संस्थान के प्रमुख / स्वयं व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

प्रश्न 12 : क्या पुरस्कार विजेताओं तथा उनके अभिरक्षकों के लिए बोर्डिंग एवं लाजिंग की कोई सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार पुरस्कार विजेताओं तथा उनके अभिरक्षकों के लिए बोर्डिंग एवं लाजिंग की व्यवस्था की जाएगी।

प्रश्न 13 : क्या पुरस्कार विजेताओं तथा उनके अभिरक्षकों को यात्रा भत्ता की कोई प्रतिपूर्ति की जाएगी?

उत्तर : आने और जाने के लिए एसी-।। टीयर से यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

प्रश्न 14 : क्या पुरस्कार विजेता के साथ किसी अभिरक्ष की अनुमति है?

उत्तर: नहीं।